



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1668]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2010/श्रावण 21, 1932

No. 1668]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2010/SHRAVANA 21, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2010

का.आ. 1979(अ).—केन्द्रीय सरकार बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि प्रयोजन हेतु विक्रय किए जाने वाले नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं; का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उन्नत किस्में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी अर्थात् :—

सारणी

| क्र. सं. | वस्तु | किस्म |
|----------|--------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | आलू | कुफ्री फ्राइसोना (एमपी/98-71) |
| 2. | प्याज | हिसार ओनियन-3 (एचओएस-1) |
| 3. | मटर | विवेक मटर 11 (वीपी 233) |
| 4. | पेठा | पूसा उज्ज्वल |
| 5. | धनिया | एपीएचयू-धनिया - 1 (एलसीसी-170) |
| 6. | धनिया | आरसीआर-728 (यूडी-728) |
| 7. | सौंफ | आरएफ - 205 (यूएफ-205) |
| 8. | नारियल | केराकेरलम (आईएनडी-069) (सीसीएस-9) |
| 9. | नारियल | केरा बस्तर (आईएनडी-004S) (सीसीएस-10) |
| 10. | टमाटर | वीएल टमाटर-4 |
| 11. | पहाड़ी मिर्च | वीएल शिमला मिर्च-2 |

[फा. सं. 17-11/2009-एसडी. IV]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2010

S.O. 1979(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purposes of the said Act, namely :—

TABLE

| Sl. No. | Kind | Variety |
|---------|-----------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Potato | Kufri Frysona (MP/98-71) |
| 2. | Onion | Hisar Onion-3 (HOS-1) |
| 3. | Pea | Vivek Matar 11 (VP 233) |
| 4. | Ash Gourd | Pusa Ujwal |
| 5. | Coriander | APHU-Dhania-1 (LCC-170) |
| 6. | Coriander | RCr-728(UD-728) |
| 7. | Fennel | RF-205(UF-205) |
| 8. | Coconut | Kerakeralam (IND-069)(CCS-9) |
| 9. | Coconut | Kera Bastar (IND-004S)(CCS-10) |
| 10. | Tomato | VL Tamatar-4 |
| 11. | Capsicum | VL Shimla Mirch-2 |

[F. No. 17-11/2009-SD. IV]

UPMA CHAUDHRY, Jt. Secy.



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1816]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2010/भाद्र 9, 1932

No. 1816]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2010/BHADRA 9, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

का.आ. 2136(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) का.आ. 2187 (अ) तारीख 27 अगस्त, 2009 में प्रकाशित, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 3 में, क्र. सं. 7 के सामने अंक और शब्द, "91 एच 97228" के अंकों और शब्दों के स्थान पर "91 एच 97226" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 3-2/2010-एसडी-IV]

मुकेश खुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2187(अ), तारीख 27 अगस्त, 2009 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2010

S.O. 2136(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central

Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2187(E), dated the 27th August, 2009, namely :—

In the said notification, in the Table, in column (3), against serial number 7, for the figures, letter and brackets "91 H97228", the figures and letter 91H97226" shall be substituted.

[F. No. 3-2/2010-SD-IV]

MUKESH KHULLAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2187(E), dated the 27th August, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

का. आ. 2137(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि प्रयोजन के लिए विक्रय किए जाने वाले नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि उन्नत किस्में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी अर्थात् :—

| क्र.सं. | वस्तु | सारणी |
|---------|---------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | चावल | केएन 3 |
| 2. | चावल | यूएस 312 (आईईटी 19513) |
| 3. | मक्का | 900 एम गोल्ड (एम ओ एन 26) |
| 4. | मक्का | एचएससी 1 |
| 5. | मक्का | एचक्यूपीएम-4 |
| 6. | बाजरा | नन्दी-65 (एमएच-1549) |
| 7. | बाजरा | नन्दी-61 (एमएच-1548) |
| 8. | चना | उज्जवल (आईपीसीके 2004-29) |
| 9. | लोबिया (चारा) | यूपीसी 628 |
| 10. | मूंगफली | जीपीबीडी 5 |
| 11. | पीली सरसों | पिताम्बरी (आरवाईएसके-05-02) |
| 12. | गन्ना | करन 6 (सीओ 0239) |
| 13. | गन्ना | करन 5 (सीओ 0124) |
| 14. | गन्ना | सीओ 0218 |
| 15. | कपास | बीबीसीएच 2231 |
| 16. | पटसन | सुधांगशु (जेबीओ-1) |
| 17. | पटसन | अर्पिता (जेबीसी-5) |
| 18. | मेस्ता | स्नेहा (जेआरएम-3) |
| 19. | मेस्ता | श्रेष्ठ (जेआरएम-5) |
| 20. | नेपियर × बाजरा संकर | फूले जयवन्त (आरबीएन-13) |
| 21. | लम्बी पास्क्यू घास | ईसी 178182 |
| 22. | जौ | एचबीएल 391 (गोकुल) |
| 23. | धान | अन्न (आर) 4 |
| 24. | धान | सीओ (आर) 49 |
| 25. | धान | जीएआर-13 (आईईटी-20930) |
| 26. | धान | नूर-1 |
| 27. | धान | रत्नागिरी-4 (आरटीएन 49-1-1-2) (आईईटी 20980) |
| 28. | धान | करजत -184 |
| 29. | धान | रत्नागिरी-24 (आरटीएन 24) (आईईटी 19812) |
| 30. | मक्का | केएमएच-22168 |
| 31. | बाजरा | आरएचआरबीएच-9808 |
| 32. | ज्वार | फूले अनुराधा (आरएसवी 458) |
| 33. | बर्नयार्ड मिलेट | सीओ (केवी) 2 |
| 34. | उड़द | यूपीयू 00-31 (हिमाचल मेश 1) |
| 35. | चना | गुजरात जुनागढ़ चना-3 (जीजेजी 0207) |
| 36. | चना | कृपा |
| 37. | चना | जीपीएफ 2 |
| 38. | लोबिया | सी 519 (हिमाचल लेबिया 11) |
| 39. | लोबिया | हिदुदया |
| 40. | मूंग | बीबीएन (जीजी) 3 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--------------|---------------------------------------|
| 41. | अरण्डी | के-8501 (चन्द्र प्रभा) |
| 42. | अरण्डी | वाईआरसीएच-1 |
| 43. | मूंगफली | जीजेजी-एचपीएस-1 (जेएसपी-एचपीएस-44) |
| 44. | अलसी | बागसू |
| 45. | भारतीय सरसों | आरएच 0119 |
| 46. | सरसों | छत्तीसगढ़ सरसों |
| 47. | तिल्ली | फूले कराला (आईजीपीएन 2004-1) |
| 48. | तिल | टीएमवी (एसवी) 7 |
| 49. | सोयाबीन | एमएयूएस 158 |
| 50. | गन्ना | सीओसी (एससी) 24 |
| 51. | कपास | फूले-688 (आरएचसी-688) |
| 52. | कपास | एसवीपीआर 4 |
| 53. | कपास | एचडी 432 |
| 54. | कपास | एच 1236 |
| 55. | कपास | एच 1098 उन्नत |
| 56. | मारवल घास | गुजरात आनन्द मारवल घास-2 |

[फा. सं. 3-2/2010-एस एण्ड डी]

मुकेश खुल्लर, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2010

S.O. 2137(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, namely :—

TABLE

| Sl. No. | Kind | Variety |
|---------|-----------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Rice | KN3 |
| 2. | Rice | US 312 (IET 19513) |
| 3. | Maize | 900M Gold (M ON 26) |
| 4. | Maize | HSC1 |
| 5. | Maize | HQPM-4 |
| 6. | Pearl Millet | Nandi-65(MH-1549) |
| 7. | Pearl Millet | Nandi-61(MH-1548) |
| 8. | Chickpea | Ujjawal (IPCK 2004-28) |
| 9. | Cowpea (Fodder) | UPC 628 |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|-----|-----------------------|--|-----|----------------|--------------------------------------|
| 10. | Groundnut | GPBD5 | 35. | Chickpea | Gujarat Junagadh Gram-3 (GJG0207) |
| 11. | Yellow sarson | Pitambari (RYSK -05-02) | 36. | Chickpea | Kripa |
| 12. | Sugarcane | Karan 6(Co 0239) | 37. | Chickpea | GPF2 |
| 13. | Sugarcane | Karan 5(Co 0124) | 38. | Cowpea | C 519(Himachal Lobiya 11) |
| 14. | Sugarcane | Co-0218 | 39. | Cowpea | Hidrudaya |
| 15. | Cotton | VBCH 2231 | 40. | Green Gram | VBN(Gg)3 |
| 16. | Jute | SUDHANGSU(JBO-1) | 41. | Castor | K-8501(Chandra Prabha) |
| 17. | Jute | ARPITA(JBC-5) | 42. | Castor | YRCH-I |
| 18. | Mesta | SNEHA(JRM-3) | 43. | Groundnut | GJG-HPS-I(JSP-HPS-44) |
| 19. | Mesta | SHRESTHA(JRM-5) | 44. | Linseed | Bhagsu |
| 20. | Napier x Bajra hybrid | Phule Jaywant(RBN-13) | 45. | Indian Mustard | RH0119 |
| 21. | Tall Fescue Grass | EC 178182 | 46. | Mustard | Chhattisgarh Sarson |
| 22. | Barley | HBL 391(Gokul) | 47. | Niger | Phule Karala(IGPN 2004-1) |
| 23. | Paddy | ANNA(R)4 | 48. | Sesame | TMV(Sv)7 |
| 24. | Paddy | CO(R)49 | 49. | Soybean | MAUS 158 |
| 25. | Paddy | GAR - 13(IET-20930) | 50. | Sugarcane | CoC(SC)24 |
| 26. | Paddy | NAUR-I | 51. | Cotton | Phule-688(RHC-688) |
| 27. | Paddy | Ratnagiri-4(RTN 49-1-1-2) (IET 20980) | 52. | Cotton | SVPR 4 |
| 28. | Paddy | Karjat - 184 | 53. | Cotton | HD 432 |
| 29. | Paddy | Ratnagiri-24(RTN-24) (IET-19812) | 54. | Cotton | H 1236 |
| 30. | Maize | KMH-22168 | 55. | Cotton | H 1098 - improved |
| 31. | Pearl Millet | RHRBH-9808 | 56. | Marvel Grass | Gujarat Anand Marvel Grass-2 |
| 32. | Sorghum | Phule Anuradha(RSV 458) | | | |
| 33. | Barnyard Millet | CO(KV)2 | | | |
| 34. | Black Gram | UPU 00-31(Himachal Mash 1) | | | |

[F.No. 3-2/2010-SD-IV]

MUKESH KHULLAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1817]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2010/भाद्र 9, 1932

No. 1817]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2010/BHADRA 9, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

का.आ. 2138(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2), उप-धारा (3) और उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय बीज समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट :—

1. सचिव (कृषि और सहकारिता), —अध्यक्ष
कृषि मंत्रालय,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट :—

2. अपर सचिव (प्रभारी बीज), —सदस्य
कृषि मंत्रालय,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
3. कृषि आयुक्त, —सदस्य
कृषि मंत्रालय,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

4. उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), —सदस्य
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

5. उप महानिदेशक (बागवानी), —सदस्य
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
कृषि अनुसंधान भवन-2,
पूसा कॉम्पस, नई दिल्ली-110012

6. संयुक्त सचिव (बीज), —सदस्य
कृषि मंत्रालय,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

7. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, —सदस्य
राष्ट्रीय बीज निगम लि.,
बीज भवन, पूसा कॉम्पलेक्स,
नई दिल्ली-110012

8. श्री राजु बारवले, —सदस्य
प्रबंध निदेशक,
महाराष्ट्र हाइब्रीड सीड
कम्पनी लि., जालना

9. श्री प्रभाकण राव, —सदस्य
प्रबंध निदेशक,
नूजीवीडु सीड्स, हैदराबाद

10. श्री ठाकुर उदय सिंह, —सदस्य
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
नामधारी सीड प्रा. लि.,
ब्रीदली, बंगलौर

